न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुकदमा [illegible] बनाम [illegible] मोहनराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा [illegible] 77/2022
29.05.23	पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरपक्षकारान उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र 07R11 CPC पर अंतिम बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया तथा कथन किया कि वकील वादी को बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी को बार-बार अवसर दिये जाने तथा पेशी दिनांक 20.04.23 को जवाब नहीं देने पर जवाब स्वतः बंद करने हेतु पाबंद किया गया था। उसके बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब प्रा.पत्र 07R11 CPC बंद किया गया। प्रा.पत्र 07R11 CPC पर उत्तरपक्षकारानों की बहस सुनी गई। बहस पर विचार मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र 07R11 CPC न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत हुआ। अतः प्रा.पत्र 07R11 CPC स्वीकार किया जाता है, अतः तथा वादपत्र 7/2022 नामंजूर कर खारिज किया जाता है। निर्णय [illegible] पृथक से लिखाया गया। पत्रावली [illegible] होकर बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। Rathore 29/05/23 दिलीप सिंह ट्रेको सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
11 / 2022	2022 / 136	11.07.2022	29.05.2023

उनवान प्रकरण

1. मक्खनलाल पुत्र जवानाराम जाति गुर्जर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—वादी—

बनाम

1. मालीराम पुत्र सुण्डाराम उम्र 72 वर्ष जाति महाजन निवासी झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी झोटवाडा जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
2. पल्लवी पत्नि ताराचन्द उम्र वर्ष जाति महाजन निवासी एस 31 संजय कॉलोनी, पानीपेच, शास्त्रीनगर जयपुर राजस्थान।
3. पटवारी, पटवार हल्का, झाडली
4. उपपंजीयक अजीतगढ़
5. उपतहसीलदार अजीतगढ़
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण—

Signature Not Verified

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. ... धारा 151 सी.पी.सी.

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:36 IST
Reason: SelfAttested

—निर्णय—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश करते हुए इस आशय का अनुतोष चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3709 रकबा 1.27 है0 अवस्थित तन ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के वादी के उपयोग उपभोग में न तो स्वयं मजाहमत करें ना ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल

28/05/2023
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इंदराजी करें, ना ही अन्य भूमाफिया किस्म के व्यक्तियों का बलात कब्जा करवाये तथा ना उक्त भूमि को अन्य दीगर को बेचान व अन्तरित करें तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे व प्रतिवादी नम्बर 3 ता 6 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

जिस पर वकील प्रतिवादी नम्बर 2 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी ने उक्त वादपत्र फर्जी इकरारनामा दिनांकित 24.02.2022 को आधार बनाकर उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3709 रकबा 1.27 है0 तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के खातेदार के विरूद्ध मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है जोकि विधि द्वारा वर्जित है। उक्त अवैध फर्जी इकरारनामा दिनांकित 24.02.2022 वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3709 रकबा 1.27 है0 तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को विवादित करने उद्देश्य से फर्जी रूप से अप्रार्थी नम्बर 1 के साथ मिलकर कुटरचना कर उक्त भूमि बाबात इकरारनामा किया है जबकि उक्त भूमि की एकमात्र खातेदार गेन्दी देवी, उसके पश्चात उक्त भूमि का खातेदार संतोष कुमार था तथा संतोष कुमार से प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 2 ने उक्त भूमि विधिवत रूपेण जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय लेख दिनांकित 27.06.2022 क्रय की है तथा वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम है। उक्त इकरारनामा ना तो गेन्दी देवी द्वारा किया गया है, ना ही गेन्दी देवी के वारिसान द्वारा किया गया है, केवल मात्र उक्त भूमि को विवादग्रस्त करने के उद्देश्य से वादी द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 से साज कर फर्जी व कुटरचित इकरारनामा किया गया है। जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त भूमि का इकरारनामा करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है तथा उक्त फर्जी व कुटरचित इकरारनामा दिनांकित 24.02.2022 में भी वादी द्वारा उक्त इकरारनामा की पालना हेतु सिविल न्यायालय में कोई वादपत्र पेश नही किया है तथा केवल मात्र फर्जी इकरारनामा के आधार पर किये गये वादपत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में ना होने से खारिज होने योग्य है। उक्त वादपत्र खातेदार के विरूद्ध केवल मात्र स्थायी ... होकर वादी को प्रतिवादी नम्बर 2 खातेदार के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा उक्त वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। उक्त वादपत्र में वर्णित भूमि का वादी को कोई टाईटल प्राप्त नहीं है, ना ही वादी द्वारा उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:36 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 23/05/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

बाबत तथाकथित इकरारनामा के आधार पर इकरारनामा दिनांकित 24.02.2022 की पालना बाबत सक्षम सिविल न्यायालय में कोई वादपत्र पेश किया है, ना ही उक्त इकरारनामा दिनांकित 24.02.2022 उक्त भूमि के खातेदार गेन्दी देवी या उसके अन्य किसी वारिसान द्वारा करवाया गया है। उक्त इकरारनामा फर्जी व कुटरचित हैं जिसमें वादी खातेदार के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। अतः उक्त वादपत्र खातेदार के विरूद्ध केवल मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का होने से विधि द्वारा वर्जित होने से व उक्त वादपत्र में वादी को प्रतिवादी नम्बर 2 खातेदार के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न ना होने से व उक्त वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में ना होने से खारिज होने योग्य है।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु वादी को कई अवसर दिये गये तथा दिनांक 20.04.2023 को आगामी पेशी पर जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब स्वतः बंद करने के आदेश पारित किये गये। जिस पर भी वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर जवाब बंद किया जाकर उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सुनी गयी। जिस पर प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 2 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुर्नरावृत्ति कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी. पी.सी. स्वीकार कर उक्त वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 2 की ओर से न्यायिक दृष्टान्त Padhiyar prahladji VS Maniben Jagmal bhai (deceased) सिविल अपील 1382/2022 उच्चतम न्यायलय पेश की व वकील वादी द्वारा वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होना बताकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपंत अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है तथा इस न्यायालय को उक्त वाद पत्र की सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। न्यायालय के निम्न मत में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत वादपत्र को नामंजूर किये जाने के लिए उक्त प्रावधान में अंकित आधारो के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों को ही देखा

29/05/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

जाना है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करते हुए वादी द्वारा इस प्रकरण में अनुतोष चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3709 रकबा 1.27 है0 तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के वादी के उपयोग उपभोग में न तो स्वयं मदाखलत करे ना ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी करें तथा ना ही अन्य भूमाफिया किस्म के व्यक्तियों का बलात कब्जा करवाये तथा ना ही उक्त भूमि को अन्य दीगर को बेचान व अन्तरित करें तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे व प्रतिवादी नम्बर 3 ता 6 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचनों से दर्शित होता है कि वादी द्वारा खातेदार/प्रतिवादी नम्बर 2 के विरूद्ध इकरारनामा दिनांकित 24.02.2022 के आधार पर केवल मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है। जबकि उक्त इकरारनामा में विक्रेता खातेदार ना होकर कोई दीगर व्यक्ति है तथा उक्त इकरारनामा दिनांकित 24.02.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें ना तो इकरारनामा में वर्णित राशि 1,11,00,000 अक्षरे एक करोड़ ग्यारह लाख रूपये का भुगतान किया गया ना ही उक्त इकरारनामा रजिस्ट्रर्ड है ना ही उक्त इकरारनामा में उक्त भूमि के खातेदार द्वारा उक्त भूमि का बेचान किया गया है तथा अगर वादी को उक्त इकरारनामा के आधार पर उक्त भूमि में कोई अनुतोष प्राप्त करना है तो उक्त वादपत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के तहत केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा वादी द्वारा खातेदार के विरूद्ध प्रस्तुत वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विधि द्वारा वर्जित है तथा ना ही वादी को उक्त भूमि का टाईटल प्राप्त है, ना ही वादी को प्रतिवादी नम्बर 2 खातेदार/असली मालिक के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 2 की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थ में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार असली मालिक के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की राहत नहीं दी जा सकती है। अतः ऐसी परिस्थितियों में वादी उक्त इकरारनामा के आधार पर खातेदार/असली मालिक के विरूद्ध के विरूद्ध राजस्व न्यायालय से स्थायी [illegible] अधिकारी नहीं है. ना ही वादी को प्रतिवादी नम्बर 2 खातेदार/असली मालिक के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न हुआ है। तथा उक्त इकरारनामा की पालना हुये बिना वादी का वादपत्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का ना होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। तथा वादी सक्षम सिविल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:36 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

न्यायालय में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के तहत प्रतिवादी नम्बर 1 के विरुद्ध सक्षम कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुये वादी का वादपत्र उक्त प्रावधानों के तहत वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र नामंजूर कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

29/05/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/05/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:36 IST
Reason: SelfAttested